

(नियम 26)

अज अदालत

मुकाम

किस्म मुकदमा

बनाम

नं.

सन्

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अदकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

अजाबों के 2 द्वारा आरोपी मुलनाम के वि
 कृत अथवा पूर्व के ही बयान कर दी गयी है।
 आरोपी मुलनाम का अन्वय एतद्वारा होता
 है कि आरोप पर वाद अदुलता की संगतना
 ही होगी उद्यम उद्यम इत्यादि अदकामों
 किए होता है तदनुसार सुविधा का अनुमन
 व अग्रणीय लाल की संगतना भी अदक
 ज्यों विद्वद् अजाबों किए होते हैं विशेष तौर
 मूल वाद के वाक्य अथवा के ही किए होते
 अथवा ज्यों का अर्थमा पत्र तस्वीरों
 किया जाता है अजाबों दरम्या 2 व 2 को
 परिन अदकामों विशेषतया मूल वाद के
 विस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि आरोपी
 मुलनाम के राजस्व रजिस्ट्रार व प्रोसे की प्रचालना
 बनाये रखे। पञ्जाबी पत्रिका अदकामों

पाठासन अधिकारी
 नोक अदालत कैम्प कोर्ट